भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1071
08फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम

1071. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और एकत्र किए गए कुल प्रीमियम का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान खंडवा संसदीय क्षेत्र में किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत प्रदान किए जा रहे प्रीमियम दावों की वर्तमान स्थिति, उसी तरह उस कृषि आधारित क्षेत्र जहां अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें केला, कपास, सोयाबीन, गन्ना, मिर्च, हल्दी, मक्का, दालें और तिलहन उगाई जाती हैं के बारे में भी;

(ग) राज्यों के किसानों द्वारा किए गए दावों का कुल मूल्य कितना है और लंबित पड़े दावों का कुल मूल्य कितना है;

(घ) ऐसे दावों के निपटान में कितना औसत समय लगता है और सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई के दावों का निपटारा सुनिश्चित करने और जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई के तहत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को खरीफ 2016 से कार्यान्वित किया जा रहा है और इस योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा दावों की गणना की जाती है और उनका निपटान किया जाता है। पीएमएफबीवाई के तहत राज्यों द्वारा अधिसूचित फसलों के लिए वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत से 2020-21 तक किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम, कुल प्रीमियम, रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अधिसूचित फसलों के लिए क्षेत्रवार बीमा इकाई के दावों की गणना की जाती है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) एवं (ड.): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत स्वीकार्य दावों का भुगतान आम तौर पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोग (सीसीई)/कटाई अवधि के पूरा होने के दो महीने के भीतर और निवार्य बुवाई, मध्य-मौसम प्रतिकूलता व फसलोपरांत नुकसानों के जोखिमों/खतरों के घटने की अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया जाता है जो समयावधि के भीतर संबंधित राज्य सरकार से प्रीमियम राजसहायता के कुल अंश के प्राप्त होने के अध्यधीन होता है। हालांकि, कुछ राज्यों में कुछ दावों के निपटान में देरी उपज डेटा के विलंब से हस्तांतरण; प्रीमियम राजसहायता में उनके हिस्से के देर से जारी होने, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, पात्र किसानों के बैंक खाते में दावों के अंतरण के लिए कुछ किसानों के खाते का विवरण प्राप्त न होने और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर व्यक्तिगत किसानों के डेटा की गलत/अधूरी प्रविष्टि, किसानों के प्रीमियम के हिस्से के प्रेषण में देरी/संबंधित बीमा कंपनी को प्रीमियम के किसानों के अंश का भुगतान न होने आदि जैसे कारणों से देरी हुई।

इसके अलावा, बीमा कंपनियों को राज्य सरकार से अंतिम उपज डेटा प्राप्त होने और फसल क्षति सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि के बाद की अवधि के लिए किसानों को प्रति वर्ष 12% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा। पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक स्तरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली को शामिल किया गया है। तदनुसार, पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित करने वाले अधिकांश राज्यों ने इस योजना के तहत ब्लॉक स्तर/जिला स्तर और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों के गठन को अधिसूचित किया है ताकि निश्चित समय सीमा के अनुसार शिकायत का निपटारा किया जा सके।

यह विभाग राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा भी कर रहा है ताकि दावों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और इस योजना के तहत पात्र किसानों को समय पर और पर्याप्त लाभ प्रदान किया जा सके।

लो.स.अता.प्र.सं.1071

अनुबंध-I

पीएमएफबीवाई – दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान एकत्र किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण-					
राज्यसंघ/ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रीमियम में किसानों का अंश	सकल प्रीमियम	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	रिपोर्ट किए गए दावों के अनुसार बकाया दावे
	रुपए करोड़ में				
2016-17					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.002	0.02	0.1	0.1	-
आंध्र प्रदेश	199.8	803.6	944.3	944.3	-
असम	5.0	8.6	5.4	5.4	-
बिहार	204.6	1,416.0	347.8	347.8	-
छत्तीसगढ	121.7	289.3	160.0	160.0	-
गोवा	0.1	0.1	0.03	0.03	-
गुजरात	243.2	2,274.6	1,267.2	1,267.2	-
हरियाणा	196.5	363.4	298.1	298.1	-
हिमाचल प्रदेश	31.1	71.7	45.3	45.3	-
झारखंड	39.6	271.4	31.1	31.1	-
कर्नाटक	235.2	1,332.7	2,093.8	2,093.8	-
केरल	7.2	33.1	43.7	43.7	0.004
मध्य प्रदेश	723.9	3,778.0	2,043.8	2,043.8	-
महाराष्ट्र	682.6	4,596.5	2,317.9	2,317.9	-
मणिपुर	0.7	3.6	2.0	2.0	-
मेघालय	0.01	0.04	0.03	0.03	-
ओडिशा	142.6	539.1	432.7	432.7	-
पुदुचेरी	0.2	2.9	7.6	7.6	-
राजस्थान	376.4	2,546.1	1,917.4	1,917.4	-
सिक्किम	0.01	0.01	0.1	0.1	-
तमिलनाडु	113.4	1,171.2	3,645.5	3,645.5	-
तेलंगाना	96.5	274.9	179.6	179.6	-
त्रिपुरा	0.3	0.4	0.7	0.7	-
उत्तर प्रदेश	529.4	1,170.7	574.6	574.6	-
उत्तराखंड	19.6	41.6	27.5	27.5	0.003
पश्चिम बंगाल	115.3	708.2	421.7	421.7	-
सकल योग	**4,085**	**21,698**	**16,808**	**16,808**	**0**
2017-18					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.002	0.03	-	-	-
आंध्र प्रदेश	248.8	1,272.1	743.7	740.1	3.7
असम	5.1	11.9	1.2	1.2	0.002
बिहार	179.3	1,028.8	401.5	401.5	-
छत्तीसगढ	132.9	361.9	1,391.4	1,391.4	-
गोवा	0.05	0.1	0.01	0.01	-
गुजरात	385.7	3,014.3	1,076.7	1,075.8	0.9
हरियाणा	207.8	452.1	896.2	896.2	-
हिमाचल प्रदेश	30.5	77.5	64.7	64.7	-
जम्मू और कश्मीर	8.8	40.5	9.8	9.8	-

झारखंड	28.3	211.9	47.2	47.2	-
कर्नाटक	234.5	1,799.1	856.8	856.8	-
केरल	6.3	25.9	11.0	11.0	-
मध्य प्रदेश	795.7	4,663.2	5,880.4	5,880.4	-
महाराष्ट्र	503.9	4,136.3	3,295.3	3,295.2	0.2
मणिपुर	0.7	1.9	0.7	0.7	-
मेघालय	0.6	0.7	0.02	0.02	-
ओडिशा	145.3	820.4	1,820.2	1,818.6	1.6
राजस्थान	502.1	2,704.4	2,241.7	2,241.7	-
सिक्किम	0.1	0.1	0.04	0.04	-
तमिलनाडु	125.9	1,277.7	2,087.7	2,086.1	1.6
तेलंगाना	187.1	670.4	648.5	648.5	-
त्रिपुरा	0.6	0.7	1.0	1.0	-
उत्तर प्रदेश	375.4	1,322.1	380.9	380.9	-
उत्तराखंड	18.8	69.1	39.5	39.5	-
पश्चिम बंगाल	79.0	642.2	261.6	261.1	0.5
सकल योग	**4,203**	**24,605**	**22,158**	**22,149**	**8**
2018-19					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.2	0.1	0.01	0.1
आंध्र प्रदेश	261.8	1,094.0	1,895.6	1,890.4	5.2
असम	1.9	13.2	2.8	2.8	0.003
छत्तीसगढ	160.9	888.9	1,085.9	1,085.9	0.0002
गोवा	0.03	0.03	0.1	0.1	-
गुजरात	402.6	3,141.4	2,778.1	2,777.9	0.2
हरियाणा	238.0	841.1	948.3	947.8	0.4
हिमाचल प्रदेश	29.7	79.4	55.0	55.0	0.0001
जम्मू और कश्मीर	16.9	76.9	27.4	27.4	-
झारखंड	4.5	397.4	684.9	51.0	634.0
कर्नाटक	225.4	1,802.9	2,950.6	2,950.1	0.6
केरल	6.2	35.9	26.7	26.7	0.004
मध्य प्रदेश	921.0	5,499.1	3,777.3	3,776.3	1.0
महाराष्ट्र	791.7	6,117.5	6,153.1	6,147.9	5.2
मणिपुर	0.1	0.2	0.001	0.001	-
मेघालय	0.1	0.1	0.2	0.2	-
ओडिशा	172.7	1,112.3	1,170.5	1,170.5	-
पुदुचेरी	-	2.7	0.5	0.5	-
राजस्थान	616.9	3,621.1	3,466.6	3,462.0	4.6
सिक्किम	0.03	0.03	0.002	0.002	-
तमिलनाडु	151.6	1,567.4	2,662.7	2,662.7	-
तेलंगाना	156.0	545.4	587.4	148.9	438.4
त्रिपुरा	0.05	0.1	0.02	0.02	-
उत्तर प्रदेश	399.9	1,418.9	469.2	469.2	-
उत्तराखंड	21.0	75.1	72.4	72.4	-
पश्चिम बंगाल	111.1	718.4	539.6	535.7	3.8
कुल योग	**4,690**	**29,050**	**29,355**	**28,261**	**1,093**
2019-20					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.002	0.03	0.001	-	0.001
आंध्र प्रदेश	0.2	1,474.7	1,258.4	1,252.6	5.8
असम	57.1	142.4	21.3	-	21.3
छत्तीसगढ	180.9	1,245.8	1,314.6	1,296.6	18.0
गोवा	0.02	0.04	0.01	0.01	-
गुजरात	468.0	3,615.0	369.4	111.7	257.8

हरियाणा	268.7	1,221.5	933.6	929.4	4.2
हिमाचल प्रदेश	30.7	83.1	67.5	66.6	0.9
झारखंड	2.8	356.0	25.5	-	25.5
कर्नाटक	253.5	2,273.6	1,576.0	1,353.0	223.0
केरल	6.1	72.5	85.9	85.9	0.0001
मध्य प्रदेश	653.1	3,908.5	5,898.8	5,861.3	37.5
महाराष्ट्र	868.4	6,353.8	6,757.4	6,748.5	8.9
मणिपुर	0.3	1.3	1.1	1.1	0.0003
मेघालय	0.1	0.1	0.2	0.2	-
ओडिशा	240.0	2,116.8	1,170.1	1,152.8	17.3
पुदुचेरी	-	4.2	7.2	6.2	0.9
राजस्थान	734.7	5,060.1	4,921.9	4,912.5	9.4
सिक्किम	0.002	0.002	-	-	-
तमिलनाडु	177.3	1,957.4	1,168.6	1,136.5	32.1
तेलंगाना	239.5	880.8	512.8	-	512.8
त्रिपुरा	0.8	1.1	0.8	0.8	0.01
उत्तर प्रदेश	321.8	1,260.7	1,106.7	1,082.7	24.0
उत्तराखंड	28.2	113.7	103.2	103.2	0.02
सकल योग	**4,532**	**32,143**	**27,301**	**26,102**	**1,199**
2020-21					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.2	-	-	-
असम	0.1	357.1	दावों की सूचना नहीं		
छत्तीसगढ	188.9	1,465.0	887.2	871.4	15.8
गोवा	0.004	0.01	-	-	-
हरियाणा	338.6	1,309.2	1,127.5	1,121.2	6.3
हिमाचल प्रदेश	22.4	102.3	47.5	20.0	27.6
कर्नाटक	217.6	2,073.8	852.0	831.8	20.2
केरल	6.7	83.2	103.0	70.0	33.0
मध्य प्रदेश	888.8	7,064.4	दावों की सूचना नहीं		
महाराष्ट्र	763.1	6,494.0	1,382.7	1,124.0	258.7
मणिपुर	कोई कवरेज नहीं				
मेघालय	0.04	0.04	-	-	-
ओडिशा	158.4	1,438.1	551.2	547.0	4.2
पुदुचेरी	0.001	3.7	16.3	-	16.3
राजस्थान	904.2	6,357.9	4,072.2	4,003.3	69.0
सिक्किम	0.01	0.01	0.02	0.02	-
तमिलनाडु	168.3	3,028.7	1,764.0	1,682.6	81.3
त्रिपुरा	0.2	6.3	2.2	2.2	-
उत्तर प्रदेश	330.3	1,612.8	492.3	486.4	5.9
उत्तराखंड	33.3	164.4	134.9	116.2	18.7
सकल योग	**4,021**	**31,561**	**11,433**	**10,876**	**557**

*****